न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
पीठासीन अधिकारी, सुशील कुमार सैनी,आर0ए0एस0

पत्रावली संख्या: 133 / 2014 / दावा :

1– सज्जन कंवर बेवा बजरंग सिंह
2– भगवान सिंह पुत्र बहादुर सिंह
जाति राजपूत निवासीगण ग्राम जाखल तहसील, नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राजस्थान)

——वादीगण

बनाम

1–महेन्द्र सिंह पुत्र सोहन सिंह।
2–दीपसिंह पुत्र स्व0 लाडकंवर पति महेन्द्र सिंह पुत्री बहादुर सिंह ।
3– जोगेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 लाडकंवर पति महेन्द्र सिंह पुत्री बहादुरसिंह।
4– अर्जुनसिंह पुत्र स्व0 लाडकंवर पति महेन्द्र सिंह पुत्री बहादुर सिंह।
5– वसु कंवर पुत्री स्व0 लाडकंवर पति महेन्द्र सिंह पुत्री बहादुरसिंह।
6– सुनिता कंवर पुत्री स्व0 लाडकंवर पति महेन्द्र सिंह पुत्र बहादुरसिंह।
जाति समस्त राजपूत निवासीगण खानपुर तहसील, लाडनू जिला नागौर (राजस्थान)
7– गोविन्द सिंह पुत्र बजरंग सिंह।
8– भंवर कंवर पुत्री बजरंग सिंह।
9– सुरेश कंवर पुत्री बजरंग सिंह।
10–करणी सिंह पुत्र बहादुर सिंह।
11–राजेन्द्र सिंह पुत्र बहादुरसिंह।
जाति राजपूत निवासीगण ग्राम जाखल तहसील, नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राजस्थान)
12–लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, तहसील, नवलगढ़।
13– किरण कंवर पत्नी राजेन्द्र सिंह।
14– इचरज कंवर पत्नी करणी सिंह
जाति राजपूत निवासीगण ग्राम जाखल तहसील, नवलगढ़ झुन्झुनू (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:33:55 IST
Reason: SelfAttested

——प्रतिवादीगण

दावा घोषणार्थ व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा
88,89,188, 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

ए.सी.ई.एम. (फा. ट्रै.)
नवलगढ़

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0
सपठित धारा 151 सी0पी0सी0।

उपस्थित :
1— श्री सुरेश कुमार, वकील प्रार्थीया/प्रति0 सं0 13 की ओर से।
2— श्री अमर सिंह शेखावत, वकील अप्रार्थीगण/वादीगण की ओर से।

निर्णय दिनांक: 04.12.2025

इस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैं कि :—

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में भूमि खसरा नम्बर 1278/963 रकबा 0.78 हैक्टर की धोषणार्थ का अनुतोष चाहा गया हैं जबकि वादीगण का उक्त भूमि पर वसीयत दिनांक 23.04.2004 के बाद व उससे पहले कभी भी कब्जा काश्त नही रहा हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्व0 बहादुर सिंह की मृत्यु दिनांक 23.04.2009 को होने व लाडकंवर के नाम पंजीकृत वसीयत पत्र दिनांक 23.04.2004 को तस्दीक करवाने के बाद नामान्तकरण संख्या 1046 दिनांक 28.01.2010 के बाद प्रस्तुत किये जाने के कारण मियाद बाहर हैं। वादीगण ने आज तक वसीयत को सक्षम न्यायालय में कोई चाराजोही नही की हैं, कानूनन पंजीकृत दस्तावेज वसीयत के अस्तित्व में होते हुये वाद वादी चलने योग्य नही हैं। वादीगण ने नामान्तकरण संख्या 1046 दिनांक 28.01.2010 को आज तक किसी सक्षम न्यायालय में चेलेन्ज नही किया हैं। पंजीकृत वसीयत के खिलाफ वाद सुनने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को हैं, राजस्व न्यायालय को नही हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 प्रार्थीया/प्रतिवादी संख्या 13 उपरोक्त वर्णित कारणों से स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण खारिज फरमाया जावें।

वकील अप्रार्थीगण/वादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 सपठित धारा 151 सी0 पी0 सी0 का जवाब पेश न कर सीधी बहस करना चाहा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:33:55 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 सपठित धारा 151 सी0 पी0 सी0 पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

प्रार्थीया/प्रतिवादी संख्या 13 के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि वादीगण द्वारा उक्त वाद भूमि

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रै.)
नवलगढ़

खसरा नम्बर 1278/963 के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया हैं। उक्त भूमि के खातेदार बहादुर सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में ही उक्त भूमि की वसीयत जरिये पंजीकृत दस्तावेज के लाडकंवर के पक्ष में करवा दी थी, जिसका नामान्तकरण संख्या 1046 दिनांक 28.01.2010 लाडकंवर के (वारिसान के) नाम खोला जा चुका हैं। वादीगण द्वारा पंजीकृत वसीयत पत्र व नामान्तकरण को सक्षम न्यायालय में चेलेन्ज नही किया गया हैं। इस कारण इनके प्रभावी रहते हुये वादीगण का वाद चलने योग्य नही हैं। वादीगण द्वारा उक्त वाद मियाद बाहर वर्ष 2014 में पेश किया गया हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 सपठित धारा 151 सी0 पी0 सी0 प्रार्थीया/प्रतिवादी संख्या 13 उपरोक्त कारणों को मध्य नजर रखते हुये स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण के वाद पत्र को मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थीगण/वादीगण के योग्य अभिभाषक का मुख्य कथन था कि वादग्रस्त भूमि बहादुर सिंह की पैत्रिक सम्पति होने के कारण उन्हे वसीयत करने का कोई हक व अधिकार नही था। वादग्रस्त भूमि पूर्व में रणजीत की सम्पति थी। उक्त वाद विधि विरूद्ध नही हैं क्योंकि वादग्रस्त भूमि पैत्रिक सम्पति होने के कारण उद्घोषणा की दादरसी चाही गई हैं और ना ही उक्त वाद पत्र के द्वारा पंजीकृत दस्तावेज को चुनौती दी गई हैं। प्रार्थीनी ने किसी भी तरह से यह भी साबित नही किया हैं कि विवादित भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त नही हैं। वसीयत जब वर्ष 2004 में पंजीकृत करवाली गई थी तो उसका नामान्तकरण वर्ष 2014 में क्यों खुलवाया गया, इसका भी कोई स्पष्ट कारण प्रार्थीनी ने नही बताया हैं। इस वाद पत्र में नामान्तकरण को भी चेलेन्ज नही किया गया हैं। वाद पत्र में अंकित भूमि मेरे दादा जी की सम्पति थी एवं जन्म से ही सभी वारिसान का पूर्वजो की सम्पति में हक व हिस्सा बनता हैं इसलिये इस वाद पत्र के द्वारा खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा चाही गई तथा वर्तमान में मेरा दावा शहादत की स्टेज पर चल रहा हैं। इस प्रकार प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाया जावें।

हमने पक्षकारान के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी सम्वंत 2067 से 2070 ग्राम जाखल के अवलोकन से जाहिर हैं कि खसरा नम्बर 1278/963 रकबा 0.78 हैक्टर की खातेदारी में लाडकंवर पत्नि महेन्द्र सिंह पुत्री बहादुर सिंह जाति राजपूत निवासी खानपुर जोधा तहसील, लाडनू जिला नागौर दर्ज हैं। नकल जमाबंदी सम्वंत 2013 से 2016 ग्राम जाखल में गत खसरा नम्बर 148 व 151 की खातेदारी में अन्य खातेदारान के साथ बहादुर सिंह पि0 रणजीत सिंह कौम राजपूत का नाम भी अंकित हैं। इसी तरह का इन्द्राज भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी नकल पर्चा खतौनी में भी हैं। नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत ख0 न0 148 व 151 के हाल खसरा नम्बर 963 रकबा 3.12 हैक्टर कायम हुये हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:33:55 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रै.)
नवलगढ़

नकल जमाबंदी सम्वंत 2055 से 2058 व 2059 से 2062 के अनुसार उक्त खसरा नम्बर 963 का विभाजन होने पर बहादुर सिंह के हिस्से में खसरा नम्बर 963/3 रकबा 0.78 हैक्टर आया लेकिन बाद में दुरूस्ती से खसरा नम्बर 963/3 के स्थान पर खसरा नम्बर 1278/963 हुआ हैं। नकल नामान्तकरण संख्या 1046 दिनांक 28.01.2010 ग्राम जाखल के अवलोकन से जाहिर हैं कि पंजीकृत वसीयत पत्र दिनांक 23.04.2004 के खसरा नम्बर 1278/963 बहादुर सिंह के स्थान पर लाडकंवर पत्नि महेन्द्र सिंह पुत्री बहादुर सिंह के नाम से स्वीकार किया गया हैं।

इस प्रकार उपरोक्त दस्तावेजात के आधार पर स्पष्ट हैं कि वादग्रस्त भूमि पैत्रिक सम्पति ना होकर बहादुर सिंह के खातेदारी की भूमि हैं जिसका वसीयत पत्र अपने जीवन काल में करवाने का पूर्ण हक व अधिकार था, उक्त वसीयत पत्र के प्रभावी रहते हुये वादीगण इस वाद पत्र के द्वारा किसी भी प्रकार की दादरसी पाने के अधिकारी नही हैं। वादीगण का कथन था कि विवादित भूमि पर उनका कब्जा व काश्त निरन्तर निर्बाध रूप से चला आ रहा हैं लेकिन इस कथन को भी उन्होने किसी सारगर्भित दस्तावेज से साबित नही किया हैं। विवादित आराजी के खातेदार की मृत्यु वर्ष 2009 में हो चुकी हैं जबकि वादीगण ने उक्त वाद वर्ष 2014 में पेश किया हैं इसलिये यह नही माना जा सकता हैं कि वादीगण को इस सम्बन्ध में जानकारी नही रही क्योंकि वादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं। ऐसीस्थिति में प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 सपठित धारा 151 सी0 पी0 सी0 में अंकित तथ्य, वाद मियाद बाहर होने, पंजीकृत दस्तावेज प्रभावी होने व नामान्तकरण को चेलेन्ज नही करने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने तथा वाद वादीगण खारिज होने योग्य हैं।

अतः प्रार्थीनी/प्रतिवादी संख्या 13 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 सपठित धारा 151 सी0 पी0 सी0 स्वीकार किया जाता हैं तथा वाद वादीगण आधारहीन होने से खारिज किया जाता हैं।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलेक्टर (फास्ट—ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:33:55 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 04.12.2025 को खुले इजलास सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलेक्टर (फास्ट—ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

NTAR

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एंव कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ,जिला–झुंझुनू

मुकाम बईजलास नवलगढ

पीठासीन अधिकारी श्री सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 133/2014

(सज्जन कंवर बनाम महेन्द्र सिंह वगै0)

वादः घोषणार्थ, स्थाई निषेधज्ञा अन्तर्गत धारा 88,89,188,92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्री सुशील कुमार सैनी (आर0ए0एस0),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब– मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

प्रार्थीनी/प्रतिवादी सं. 13 का प्रा. पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा वाद वादीगण आधारहीन होने से खारीज किया जाता है।

जन............–................ मुबलिग............–.............बाबत......–............खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह......–............ फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–..............का अदा करे।

बस्वत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख.01 माह 1 सन 2025 को जारी की गई।

(सुशील कुमार सैनी)

सहायक कलक्टर एंव कार्यपालक मजिस्ट्रेट

(फास्ट ट्रेक) नवलगढ,जिला–झुंझुनू

एस.डी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ

मुददई	रूपया पैसे	मुददासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	01.00	स्टाम्प. वकालतनामा	1.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	0.00	मुतफरिक मिजान	0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:33:55 IST
Reason: SelfAttested